अध्याय 1

प्रस्तावना

दिल्ली भारत की प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के सुंदर तालमेल का प्रतिनिधित्व करता है। यमुना नदी पर उत्तर–मध्य भारत में इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण लगातार अनेक शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। पूरे राष्ट्र की आत्मा के रूप में दिल्ली भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत और जीवंत वर्तमान का प्रतीक है। दिल्ली में विविध संस्कृतियों का समावेश है क्योंकि देश के सभी धार्मिक समुदायों के लोग यहां रहते हैं। यहां बोली जाने वाली भाषाओं में हिन्दी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी प्रमुख हैं।

2. इतिहास के विभिन्न कालों ने अपनी सांस्कृतिक और समृद्ध स्थापत्य कला की विरासत दिल्ली में छोड़ी है। दिल्ली में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं– जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, राष्ट्रीय संग्रहालय, इंडिया गेट, लोटस टेंपल इत्यादि। यह स्थल न केवल देश की समृद्ध संस्कृति के धरोहर हैं बल्कि पूरे विश्व के पर्यटको को आकर्षित करते हैं। दिल्ली अपने विभिन्न उद्यानों और वनस्पति पार्क के लिए प्रसिद्ध रहा है। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, लोधी गार्डन, मुगल गार्डन, बुद्ध जयंती पार्क और नेहरू पार्क अत्यंत लोकप्रिय हैं। दिल्ली रिज शहर के हरित फेफड़े यानि श्वास अंग के नाम से विख्यात है, क्योंकि यह प्रदूषण का स्तर कम करता है और शहर को प्राकृतिक हरित क्षेत्र उपलब्ध कराता है।

3. दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना, देश के शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2019 में की गई। चांदनी चौक की घुमावदार संकरी गलियों का पुनरुद्धार, निकास प्रबंध, सौंदर्यीकरण, गैर मोटर चालित वाहन और पैदल चलने वालों के लिए अलग–अलग लेन की व्यवस्था के साथ किया गया है और यह सुलभ कीमतों पर आधुनिकतम फैशन का केंद्र बन गया है। दिल्ली का क्नॉट प्लेस लोगों को खानपान के आसाधारण विकल्प उपलब्ध कराता है, जहां कम बजट से लेकर महंगी से महंगी चीजें उपलब्ध हैं। दिल्ली हाट 1994 में आईएनए दक्षिण दिल्ली में शुरू हुआ था। इसके बाद पीतमपुरा और जनकपुरी में भी दिल्ली हाट की स्थापना की गई। ये हाट शिल्प, देश के विविध खान–पान और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक हैं और विशेषरूप से हस्तशिल्प, मिट्टी की कलात्मक कलाकृतियां और सुरूचि पूर्ण पारंपरिक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है।

4. दिल्ली के पास अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और जन सेवा सुविधाएं हैं। भारत का राजनीतिक केंद्र होने के अलावा दिल्ली एक वाणिज्यिक, परिवहन और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जिसकी वजह से देश–विदेश से लोगों का यहां आना–जाना लगा रहता है। इन्हीं कारणों से दिल्ली को 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी, 1982 में फिर एशियाई खेलों की मेजबानी, 1983 में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, 2010 में हॉकी विश्वकप, 2010 में ही राष्ट्रमंडल खेल, 2012 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और 2011 में क्रिकेट विश्वकप के मेजबान देशों में एक बनने का मौका मिला। इन सब आयोजनों से दुनिया भर में दिल्ली का गौरव बढ़ा।

5. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका प्रशासनिक ढांचा दोहरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें जहां एक ओर केंद्र सरकार है तो दूसरी ओर राज्य सरकार। दिल्ली में ग्यारह जिले और 33 सब–डिवीजन हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 1114 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र और 369 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। इसकी सीमा पूर्व में उत्तर प्रदेश से और अन्य सभी दिशाओं में हरियाणा से मिलती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का केंद्र भी है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड अधिनियम 1985 द्वारा सृजित एक विशिष्ट अंतर्राज्य क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र है। दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आता है जिसमें पांच स्थानीय नगर निगम हैं – उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी परिषद आते हैं।

राज्य की अर्थव्यवस्था

6. दिल्ली में औसत प्रतिव्यक्ति आय समग्र भारत की प्रतिव्यक्ति आय से लगभग तीन गुना अधिक है। दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय 2021–22 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर 4,01,982 रुपए थी, जबकि 2020–21 में यह 3,44,136 रुपए थी। इस प्रकार इसमें 16.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वास्तविक अर्थों में 2021–22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,63,477 रुपए रहने का आकलन किया गया था। 2020–21 में यह वास्तविक अर्थों में 243110 रुपए थी। इस प्रकार इसमें 8.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है। गोआ पहले स्थान पर और सिक्किम दूसरे स्थान पर है।

7. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बाहुल्य है और सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन में इसका हिस्सा (प्रचलित मूल्यों पर) 83.94 प्रतिशत रहा जिसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (13.78 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र (2.28 प्रतिशत) का योगदान था। तृतीयक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजित करने और आमदनी बढ़ाने, दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्रिम आकलन के अनुसार 2021–22 के दौरान दिल्ली में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत है।

8. 2021–22 के दौरान प्रचलित मूल्य पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,23,967 करोड़ रुपये दर्ज किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17.65 प्रतिशत है। प्रचलित मूल्य पर पिछले छह वर्षों में यहां के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है यानी यह 2016–17 के 6,16,085 करोड़ रुपये की तुलना में 2021–22 में बढ़कर 9,23,967 करोड़ रुपये हो गया है।

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

9. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में दिल्ली के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है और सराहनीय आर्थिक प्रगति उपलब्ध की है। दिल्ली को एक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन, नागरिक बुनियादी सुविधा ढांचा उपलब्ध कराने के साथ–साथ नागरिकों के सामाजिक,

आर्थिक कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, जरूरतमंदों के हित पर विशेष बल दिया गया है। दिल्ली का बजट 2014–15 में 36766 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021–22 में 69000 करोड़ रुपए हो गया है। योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के संदर्भ में बजट आवंटन में भी उल्लेखनीय बढोतरी की गई है और यह 2014–15 से 17700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021–22 में 37800 करोड़ रुपए हो गया है।

10. विद्यार्थी मेंटरशिप, स्पोकन इंग्लिश कौशल विकास के लिए विशेष कक्षाएं और संचार सक्षमता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत सीड मनी, उत्कृष्टता मिशन, दिल्ली की योगशाला, दिल्ली में दरवाजे पर सेवाओं की आपूर्ति, सीसीटीवी कैमरा, वाई–फाई दिल्ली, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना जैसे नवाचारी कार्यक्रमों से दिल्ली के नागरिकों के जीवन स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए बजट के माध्यम से निवेश से दिल्ली के नागरिकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन और शैक्षणिक सुविधाएं सृजित की गई हैं।

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में योजनाओं/परियोजनाओं के तहत बजट आवंटन 2020–21 के 29,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2021–22 की 37,800 करोड़ रुपये कर दी गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में तेज वृद्धि मुख्यरूप से सब्सिडी और जीआईए के स्थापना बजट से योजना बजट में स्थानांतरण के कारण रही। परिवहन क्षेत्र के लिए 8862 करोड़ रुपए का सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया, जो कुल बजट के लगभग 23 प्रतिशत है। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए 7379 करोड़ रुपए यानि 20 प्रतिशत का आवंटन किया गया। चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के लिए 5192 करोड़ रुपए के साथ 14 प्रतिशत तथा सामाजिक सेवा और कल्याण क्षेत्र के लिए 4439 करोड़ रुपए के साथ 12 प्रतिशत का आवंटन किया गया।

12. दिल्ली में कार्यनिष्पादन को मापने के पैमाने के रूप में बजट और उसके खर्च के साथ आउटकम बजट का उपयोग किया जाता है जिनसे बेहतर सेवा प्रदान करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन का समय–समय पर आकलन करने और बजट को बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए किफायती बनाने में मदद मिलती है।

13. दिल्ली के 2021–22 के आउटकम बजट में 21 प्रमुख विभाग को शामिल किया गया है। प्रत्येक विभाग में प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान की गयी है और प्रत्येक के लिए आउटपुट और आउटकम संकेतकों को परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है कि संकेतक SMART (यानि विशिष्ट, मापनीय, संदर्भित, वास्तविक और लक्षित) हों तथा अन्य विभागों के इसी प्रकार के समान कार्यक्रमों और योजनाओं से तुलना योग्य हों।

14. दिल्ली सरकार आउटकम बजट की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भी संकलित करती है जो आउटकम बजट की उपलब्धियों की जानकारी 'ऑन ट्रैक' और 'ऑफ ट्रैक' –दो श्रेणियों के अंतर्गत देती है।

लोक वित्त

15. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र से अनुदान सहायता/अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर राजस्व में जीएसटी, मूल्यसंवर्द्धित कर (वैट), स्टैंप और पंजीकरण शुल्क, आबकारी और मोटर वाहन कर आते हैं। 2020–21 के दौरान दिल्ली सरकार की प्राप्तियों में ये सभी कर मिलकर कुल राजस्व प्राप्तियों का 70 प्रतिशत थीं। दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 2019–20 की 0.16 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2020–21 (अनंतिम) के दौरान 19.53 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि रही जोकि यह मुख्यरूप से कोविड महामारी के कारण हई। कर राजस्व के सभी घटकों में तेजी से गिरावट आई। दिल्ली सरकार ने 2020–21 (अनंतिम) में वास्तविक वृद्धि की तुलना में 2021–22 (बजट अनुमान) के दौरान 46.13 प्रतिशत कर राजस्व का लक्ष्य रखा है। दूसरी तरफ, गैर कर राजस्व में मुख्यरूप से विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और निवेश लाभ तथा सेवाप्रभार/शुल्क/जुर्माना इत्यादि आते हैं।

16. दिल्ली विधानसभा ने 31 मई 2017 को राज्य वस्तु और सेवा अधिनियम को मंजूरी दी जिसके बाद 01.07.2017 से दिल्ली में जीएसटी लागू हो गया। इसके परिणामस्वरूप, तत्कालीन वैट (पेट्रोलियम, शराब आदि को छोड़कर) और अन्य कर जैसे कि मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टेलीविजन कर जीएसटी में समाहित हो गये। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी मौजूदा वैट डीलरों को नये वस्तु और सेवा कर के दायरे में लाने के सारे प्रयास किये।

17. वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार पर 29608.27 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था जो उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.61 प्रतिशत के बराबर है। 2020–21 में 31 मार्च 2021 को 40996.66 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के साथ ऋण और जीएसडीपी का अनुपात काफी कम होकर 5.18 प्रतिशत हो गया। ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2011–12 में 13.03 प्रतिशत उच्च स्तर से घटकर 2020–21 में 6.86 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऋण की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में है। दिल्ली सरकार 2020–21 के दौरान 9500 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण प्राप्त हुआ, जबकि 2019–20 में उसे 4540.60 करोड़ रुपये का ऋण मिला था।

18. दिल्ली ने अपने राजस्व अधिशेष को लगातार बनाए रखा है, हालांकि 2020–21 (अनंतिम) के दौरान यह कम होकर 1450 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि 2019–20 में यह 7499 करोड़ रुपए था। दिल्ली का राजस्व अधिशेष वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.18 प्रतिशत और 2021–22 (बजट आकलन) में 0.14 प्रतिशत था।

19. पहले के केन्द्रीय वित्त आयोगों की तरह दिल्ली को अभी तक 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग (15^{th} CFC) की संदर्भ अवधि में शामिल नहीं किया गया है, जिसका कार्यकाल 2020–21 से 2025–26 तक है। इसलिए 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यो को सिफारिश की जाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता, राजस्व घाटा

अनुदान, क्षेत्र संबंधी अनुदान, आपदा राहत अनुदान आदि के दायरे से दिल्ली बाहर हो सकता है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली को 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के दायरे में लाने के समुचित उपाय किए जाएं। इस समय दिल्ली को केन्द्रीय करों में हिस्से के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान ही मिल पाता है और यह भी 2001–02 से 325 करोड़ रुपये पर स्थिर है। 2000–01 के दौरान एनसीटी दिल्ली को सामान्य केन्द्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये थी और आज 20 साल बाद भी 2020–21 के बजट अनुमान में यह 626 करोड़ रुपये पर बनी हुई है।

20. दिल्ली सरकार समय–समय पर गठित किये जाने वाले दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को निधियों का आवंटन करती है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को धनराशि के अंतरण का फार्मूला तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (कार्यकाल 2006–07 से 2010–11 तक) जिसे बढ़ाकर 2015–16 किया गया है की सिफारिशों पर आधारित होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडन के निर्णय संख्या 2669 और 2670 दिनांक 01.01.2019 के तहत 5वें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि तक के लिए लागू करने का फैसला किया और 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि के लिए, निवल कर का अंतरण चौथे दिल्ली वित्त आयोग के स्थान पर तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करने का फैसला किया।

व्यापार और वाणिज्य

21. दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में व्यापार और वाणिज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई **है**। इसने कर राजस्व में बड़ा योगदान किया है और समाज के बड़े तबके को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराया है। दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केन्द्र है। दिल्ली की विशेषता यह है कि यह व्यापर के लिए प्रवेश बंदरगाह की तरह है। यहां की आर्थिक गतिविधियों का काफी बड़ा हिस्सा कहीं और बने सामान या स्थानीय बिक्री के लिए यहां लाए गये सामान के पुनर्वितरण तथा अन्य राज्यों को भेजने से संबंधित है। दिल्ली ने अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक कारणों के साथ साथ यहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे सुविधाओं आदि की बदौलता देश के प्रमुख वितरण केन्द्र का दर्जा हासिल कर लिया है।

22. दिल्ली में 2021–22 (ए.ई.) में व्यापार तथा होटल और रेस्तरां से होने वाली आमदनी प्रचलित मूल्यों पर 94333 करोड़ रुपये रही जो यहां के सकल राज्य मूल्यवर्धन का करीब 11.66 प्रतिशत है (आधार वर्ष 2011–12)। और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो पिछले 11 वर्षों में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में इस क्षेत्र का योगदान 10 प्रतिशत से अधिक रहा।

मूल्य रूझान

23. थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू.पी.आइ.) का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर थोक बाजार में वस्तुओं के दामों में बदलाव का मापन करने में किया जाता है। डब्लू.पी.आइ. की मौजूदा श्रृंखला 2011–12 को

आधार वर्ष मानते हुए (2011–12=100) उसके थोक बिक्री मूल्यों में समय के साथ हुए बदलाव को दर्शाती है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मासिक थोक बिक्री मूल्य सूचकांक को संकलित और जारी करता है।

24. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आई डब्ल्यू.) का उपयोग आम तौर पर दैनिक उपयोग की आम वस्तुओं के खुदरा मूल्यों के रुझानों के मापन में किया जाता है। सितंबर 2020 से श्रम ब्यूरो ने सीपीआइ–आइडब्लू 2001 =100 की मौजूदा श्रृंखला के आधार को अद्यतन किया है और नया आधार वर्ष 2016=100 बना दिया गया है। नयी श्रृंखला के अंतर्गत शिमला स्थिति श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को मासिक आधार पर दिल्ली सहित भारत के 88 चुने हुए केंद्रों /बाजारों के लिए जारी करता है।

25. छह समूहों के लिए सूचकांक अलग से तैयार किया जाता है और उसके बाद हर समूह को विशिष्ट भार देकर समन्वित कर दिया जाता है। अद्यतन की गयी श्रृंखला के तहत (2016=100) सबसे अधिक भार (36.13 प्रतिशत) खाद्य और पेय समूह की वस्तुओं को दिया गया। इसके बाद विविध श्रेणी की वस्तुओं को 26.26 प्रतिशत, आवास को 24.29 प्रतिशत, इंधन और बिजली को 7.05 प्रतिशत, वस्त्र और फुटवेयर को 5.43 प्रतिशत और पान, सुपारी, तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों को 0.84 प्रतिशत भार दिया गया।

26. दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020 के 111.8 से बढ़कर 2021 में 116.4 हो गया यानी इसमें 4.6 अंकों (4.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। दिल्ली में खाद्य और पेय सामग्रीका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020 के 114.7 से बढ़कर 2021 में 117.9 हो गया। इसमें 3.2 अंक (2.8 प्रतिशत) की वृद्धि रही।

कृषि और ग्रामीण विकास

27. 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) के प्रतिशत वितरण में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की वजह से गिरावट का रुझान रहा। और स्पष्ट रूप से कहें तो दिल्ली के जीएसवीए में चालू मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 0.36 प्रतिशत हो गया।

28. 2020–21 में दिल्ली के खेती वाले रकबे में बढ़ोतरी हुई। यहां का कुल सकल फसली क्षेत्र 2012–13 में 35178 हैक्टेयर था लेकिन 2020–21 में अनुमानित सकल फसली क्षेत्र बढ़कर 43569 हैक्टेयर हो गया। दिल्ली के बाकी इलाके का उपयोग अन्य विभिन्न प्रकार के गैर–कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है या वे वन और परती या अनजुती भूमि के रूप में हैं। दिल्ली में कृषि क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण यहां हो रहा तेज शहरीकरण और व्यवसाय में बदलाव, खास तौर पर पिछले दो दशकों में हुआ बदलाव है।

29. दिल्ली में पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी, एक प्रयोगशाला, एक किसान सूचना केन्द्र और दो एम्बुलेंस क्लीनिक हैं। 2011–12 में सरकारी पशु चिकित्सालयों/डिस्पेंसरियों में 4.16 लाख पशुओं का उपचार किया गया

जबकि 2020–21 में यह संख्या 5.11 लाख हो गयी। जनवरी 2022 तक यह संख्या 4.25 लाख पर आ गयी। संभवतया ऐसा पशुपालकों में शिक्षा और जागरूकता में बढ़ोतरी के कारण हुआ।

पर्यावरणीय सरोकार

30. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हरित पर्यावरण के लिये वन और वृक्ष कवर बढ़ाने के उपाय किये हैं। सरकार की पहल से 2021 में वन और वृक्षों से घिरे क्षेत्र का दायरा बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इससे कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा बढ़कर 23.06 प्रतिशत हो गया है।

31. India State of Forest Report , 2021 के अनुसार सात प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली का वन क्षेत्र सबसे अधिक 194.24 वर्ग किलोमीटर है, इसके बाद मुंबई का 110.77 वर्ग किलोमीटर और बंगलुरू का 89.02 वर्गकिलोमीटर है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में दिल्ली का वृक्ष क्षेत्र, चंडीगढ़ (13.16 प्रतिशत) के बाद, 9.91 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है।

32. एक किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये कनॉट प्लेस के बाबा खड्गसिंह मार्ग पर 20 मीटर लंबा स्मॉग टावर 23.08.2021 को लगाया गया। इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

33. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अग्रिम वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिये आईआईटी कानपुर के नेतृत्व में एक संकाय को ''वास्तविक समय स्रोत अंशापन और दिल्ली में अग्रिम वायु प्रदूषण प्रबंधन के पूर्वानुमान'' के अध्ययन की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के वायु प्रदूषण पर लक्षित और सार्थक निर्णय ले पाने के लिये व्यापक वैज्ञानिक डेटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान करना है। पीएम$_{2.5}$, एनओ$_2$, एनओ एक्स, सीओ , एसओ$_2$, ओजोन, बीटीएक्स, तात्विक कार्बन, जैविक कार्बन, पीएएच, तत्व, आयन, सेकेण्डरी अजैविक और जैविक एयरोसोल, मॉलिक्यूलर मार्कर और अन्य जैविक यौगिक के निरीक्षण के लिये अत्याधुनिक सुपर साईट विकसित की जायेगी। यह वास्तविक समय डेटा वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

34. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये दिल्ली सरकार ने 1 अक्तूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सर्दियों की 10–सूत्रीय कार्ययोजना लागू की। इसके तहत पराली प्रबंधन के लिये डि–कंपोजर का उपयोग, धूल नियंत्रण अभियान, कचरा जलाने पर जुर्माना, पटाखों पर पाबंदी, स्मॉग टावर लगाना, अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों की पहचान और निगरानी, ग्रीन वॉर रूम, हरित दिल्ली ऐप, ई–कचरा पार्क और वाहन प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया।

35. प्रदूषण से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों के बारे में दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिये दिल्ली सचिवालय में ''ग्रीन वॉर रूम'', 24X7 सेवा स्थापित की, जो कि ग्रीन दिल्ली ऐप पर अपलोड होने वाली शिकायतों पर नजर रखती है और उनका निपटान करती है। 07.03.2022 तक ग्रीन दिल्ली ऐप पर 39,372 शिकायतें मिलीं। जिनमें से 37,335 शिकायतों का निपटान 28 एजेंसियों द्वारा कर दिया गया। केवल 6.03 प्रतिशत शिकायतें लंबित है।

उद्योग

36. नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)–9 यानि "समावेशी सतत औद्योगीकरण, नवाचार को बढावा' हासिल करने में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है।

37. प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के अनुमानों के अनुसार विनिर्माण से आमदनी 2011–12 में 18907 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021–22 में 42230 करोड़ रुपये हो गयी है। लेकिन जीएसवीए में विनिर्माण का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 5.22 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 13.50 प्रतिशत हो गया है।

दिल्ली में पर्यटन

38. भारत की राजधानी विदेशी और घरेलू, दोनों ही तरह के पर्यटकों के लिए देश के प्रमुख आगमन स्थलों में एक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस–2021 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान कुल पर्यटकों के 9.50 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ दिल्ली चौथे स्थान पर रहा। दिल्ली आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली को शहर के भीतर और आस–पास कुछ महान धरोहर स्थलों के होने का भी गर्व प्राप्त है। दिल्ली पर्यटन क्षेत्र से आय भी अर्जित करता है।

39. दिल्ली एक ऐसा शहर है जो पीठ पर थैला लादकर लंबी यात्राएं करने के शौकीन घुमंतुओं से लेकर धार्मिक यात्राओं पर आने वालों, स्वास्थ्य उपचार के लिये आने वालों, छुट्टियां मनाने वालों से लेकर ऐशोआराम की यात्रा करने वालों तक सबका स्वागत करता है। भारत में परिवार के लिये छुट्टियां मनाने के गंतव्य स्थल अनेक नहीं हैं लेकिन दिल्ली उन कुछ जगहों में एक है जो बच्चों के लिये भी समान रूप से पंसदीदा है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन और दिल्ली के अन्य अनेक आकर्षक पार्क यहां का पारिस्थितकीय संतुलन बनाये रखते हैं। दिल्ली का मौसम वर्ष भर 5 डिग्री तापमान से लेकर 45 डिग्री तापमान तक बदलता रहता है। दिल्ली में बारिश भी खूब होती है इसलिये सभी प्रकार के लोग दिल्ली में अलग अलग मौसम का आनंद उठा सकते हैं। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी दिल्ली आ जाते हैं जो पारिस्थितकीय पर्यटन में वृद्धि करता है।

40. दिल्ली पर्यटन विभाग दिल्ली में अनेक मेले और उत्सवों का आयोजन करता है। दिल्ली पर्यटन अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है जो दिल्ली को न केवल विदेशी पर्यटकों के लिये बल्कि घरेलू यात्रियों और नागरिकों के लिये सांस्कृतिक गंतव्य स्थल भी बनाता है। दिल्ली पर्यटन दिल्ली हाट आइ.एन.ए., दिल्ली हाट पीतमपुरा और दिल्ली हाट जनकपुरी (खानपान और

शिल्प बाजार) और कॉफी होम का भी संचालन करता है। गार्डेन ऑफ फाइव सेंसेज भी दिल्ली पर्यटन के अंतर्गत है।

ऊर्जा

41. दिल्ली सरकार ने 2002 में बिजली पारेषण और बिजली उत्पादन के निगमीकरण और वितरण के निजीकरण के साथ बिजली क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की। पारेषण तथा वितरण क्षति में कमी, ग्राहक सेवाओं, और पारेषण तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में दिल्ली में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पृथक होने के बाद दिल्ली के बिजली प्रतिष्ठान में उत्पादक कंपनियों (इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल), दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा पारेषण, और पांच डिस्कॉम (बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएमसी और एमईएस) की वितरण में भागीदारी हो गई है।

42. 2011–12 से 2020–21 की अवधि के दौरान, दिल्ली में बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या 43.01 लाख से बढ़कर 63.87 लाख हो गई। दिल्ली में कुल बिजली खरीद में 2019–20 तक वृद्धि का रुख रहा। हालां कि कोविड महामारी के कारण मांग में कमी हुई और दिल्ली में कुल बिजली खरीद में पिछले दस वर्षों (2011–12 से 2020–21) के दौरान 2.28 प्रतिशत की कमी रही। बिजली खरीद 2011–12 के 33390 एमयू से घट्कर 2020–21 में 32627 एमयू हो गयी। जबकि कुल बिजली खरीद का 14.67 प्रतिशत दिल्ली सरकार के बिजली संयंत्रों के स्वयं उत्पादन से प्राप्त किया गया, 85.33 प्रतिशत की खरीद केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी। पीक डिमांड 2011–12 के 5028 मेगावाट से बढ़कर 2020–21 में 6314 मेगावाट हो गई।

43. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा है। यह प्रणालीगत आवश्यकताओं के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन संचालन और रखरखाव के अलावा, 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली के पारेषण के लिए जिम्मेदार है। विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के तहत एक नया विभाग – स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) बनाया गया, जो दिल्ली में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने का शीर्ष निकाय है। एसएलडीसी पहले दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड / दिल्ली विद्युत बोर्ड के संचालन और रखरखाव विभाग का हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी 2004 को अपना कार्य शुरू किया। एसएलडीसी, रियल–टाइम लोड डिस्पैच फंक्शन, स्काडा सिस्टम और एनर्जी अकाउंटिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका उददेष्य विश्वसनीयता, सुरक्षा और मजबूत वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित अर्थ प्रबंधन के साथ एनआरएलडीसी (उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर) के समन्वय में बिजली के अंतः और अंतर–राज्य हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है।

44. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के पास बिजली पारेषण नेटवर्क है जिसमें चार 400 केवी और इक्तालीस 220 केवी सबस्टेशन शामिल हैं और यह ट्रांसमिशन लाइनों के साथ जुड़ा हुआ है। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली के चारों ओर 400 केवी रिंग है, जो समूची दिल्ली में फैले 220 केवी नेटवर्क के साथ परस्पर जुड़ी हुई है। दिसंबर 2021 तक इसकी कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता 400 केवी स्तर पर 5410

एमवीए और 220 केवी स्तर पर 14380 एमवीए है। दिसंबर 2021 तक सीकेटी किमी. में ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई 400 केवी स्तर पर 249.2 और 220 केवी स्तर पर 860 है।

45. दिल्ली सरकार ने एक ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईई और आरईएमसी) की स्थापना की है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में सरकारी भवनों की छतों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप आदि पर एसपीवी पैनल स्थापित करके इसे सौर शहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दिल्ली में ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट्स की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

46. शहर के ठोस अपशिष्ट का निपटारा एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस समस्या को दूर करने के लिए, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयत्र स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 56 मेगावाट की कुल क्षमता वाले तिमारपुर–ओखला (20 मेगावाट), गाजीपुर (12 मेगावाट) और नरेला–बवाना (24 मेगावाट) में तीन अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र चालू हैं। भलस्वा (15 मेगावाट), तेहखंड (25 मेगावाट) और गाजीपुर के मौजूदा संयंत्र में 8 मेगावाट विस्तार वाले अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की भी योजना बनाई गई है।

47. ग्रिड से जुड़ी सभी सौर परियोजनाओं ने दिसंबर 2021 तक दिल्ली में लगभग 223.601 मेगावाट बिजली का योगदान दिया है। दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और डब्ल्यूटीई) की कुल स्थापित क्षमता 31/12/2021 तक 279.601 मेगावाट है।

परिवहन

48. जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 67 लाख 80 हजार थी। भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। आने–जाने वालों की भारी संख्या की सुविधा के लिए अच्छी गुणवत्ता की सुरक्षित और आरामदायक परिवहन प्रणाली की जरूरत है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सुरक्षित, सुचारू, कम खर्चीली, सुविधाजनक और कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में लगातार काम कर रही है।

49 दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के दो मुख्य घटक हैं– दिल्ली बस परिवहन और क्लस्टर बसें तथा मेट्रो मेट्रो रेल। वर्ष 2020–21 में डीटीसी बसों में प्रतिदिन औसत यात्री संख्या 12.24 लाख और कलस्टर बसों में 8.50 लाख थी। हालांकि कोविड पूर्व अवधि के दौरान डीटीसी की दैनिक और यात्री संख्या 33.31 लाख और क्लस्टर बसों में 17.71 लाख थी।

50 मेट्रो निर्माण के फेस–1 के तहत 64.751 किलोमीटर और फेस–2 के तहत 160.07 किलोमीटर मेट्रो लाईन पूरी की गई। फेस–3 के तहत एनसीआर विस्तार में अतिरिक्त कॉरिडोर जोड़े गए, जिसमें 109 स्टेशनों के साथ 160 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाईन (एनसीआर के 27 स्टेशनों के साथ 37.307 किलोमीटर मार्ग की लंबाई सहित) पूरी की गई। फेस–4 के तहत तीन प्राथमिकता कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि शेष तीन कॉरिडोर अभी विचाराधीन है।

51 रा.रा.क्षे. दिल्ली की सड़को पर कुल मोटर वाहनों की संख्या 31 मार्च 2021 तक 122.53 लाख थी, इससे पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 3.03 की बढोतरी हुई थी। प्रति एक हजार की आबादी पर वाहनों की संख्या 2005–06 के 317 से बढ़कर 2020–21 में 655 हो गयी।

52 दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को बढावा देने के लिये रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर, कुल 95.13 किलोमीटर पर, परिवहन संबंधी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की गयीं। अभी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 87 फ्लाईओवर हैं। विभिन्न स्थानों पर 9 फ्लाईओवर दिसंबर 2021 तक पूरे कर लिए गय हैं और पांच फ्लाईओवर निर्माणाधीन हैं।

53 दिल्ली परिवहन निगम एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। डीटीसी शहर से 453 रूटों और एनसीआर के 7 रूट पर 3760 बसों का परिचालन करती है। डीटीसी दिल्ली से काठमांडू के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का भी परिचालन कर रही है। इसके अलावा क्लस्टर योजना के अंतर्गत 3191 बसें चल रही हैं।

54 सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों कॉमन मोबिलिटी कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। स्वचालित किराया वसूली प्रणाली (एएफसीएस) पर आधारित इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) व्यवस्था भी पूरी तरह लागू कर दी गई है।

55 दिल्ली में 58 बस डिपो परिचालन में हैं और 12 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 16 बस टर्मिनल कार्यरत हैं। सेक्टर 12 द्वारका, सेक्टर 4 द्वारका, विकासपुरी और नरेला में नये बस टर्मिनल निर्माणाधीन हैं।

56 5499 डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और स्वचालित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (एवीटी) स्थापित कर दी गई है। हालांकि नई खरीदी गई 1380 स्टैंडर्ड फ्लोर और लो फ्लोर बसें इन उपकरणों से पहले से लैस हैं। 27 रूटो पर 88 रात्रि सेवा बसें कार्यरत हैं। व्यस्त समय में 30 रूटों पर 30 महिला स्पेशल बसे भी चलायी जा रही हैं। 31.10.2021 तक महिलाओं की सुरक्षा के लिये डीटीसी बसों में 9286 मार्शल और कलस्टर बसों में 3368 मार्शल तैनात किये गये हैं।

57 दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के लिए, परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बिजली चालित ''दिल्ली विद्युत वाहन नीति'' को मंजूरी दी गई है। दिल्ली विद्युत वाहन नीति का मुख्य उद्‌देश्य बैटरी चालित विद्युत वाहन (बीईवी) अपनाने को तेजी से बढ़ावा दिया जाना है ताकि 2024 तक नए वाहनों के पंजीकरण में उनका योगदान 25 प्रतिशत का हो।

58 रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पूरी तरह से विद्युत चालित बसें चलाने का फैसला किया है, जिससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी कम किया जा सकेगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत डीटीसी को संचालनगत लागत मॉडल पर 300 विद्युत चालित वाहन चलाने के लिए वित्तीय सहयोग देने के वास्ते सक्षम प्राधिकरण की अनुमति उपलब्ध कराई है।

59 रा.रा. क्षे दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा 29 अक्तूबर 2019 से दी जा रही है। एसी और नॉन एसी बसों में 10 रुपये मूल्य का एकल यात्रा पास मौजूदा समय में गुलाबी रंग के टिकट के रूप में जारी किया जा रहा है, जिसके एवज में सरकार भरपाई करेगी। वर्ष 2020–21 के दौरान महिला यात्रियों ने डीटीसी में 11.49 करोड़ और क्लस्टर बसों में 10.22 करोड़ ट्रिप की निशुल्क यात्रा की।

जल आपूर्ति एवं सीवरेज

60 सतत विकास लक्ष्य–6 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है 'सबके लिए पानी और साफ–सफाई की उपलब्धता और प्रबंधन'। सतत विकास लक्ष्य के आधार पर दिल्ली सरकार सबको पर्याप्त और सुलभ पीने योग्य पानी और साफ–सफाई की स्वास्थ्यकर परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए ये जन सेवाएं आवश्यक हैं। सरकार सभी परिवारों को चौबीसों घंटे स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक कचरे सहित अपशिष्ट जल और ठोस कचरे के उपचार के लगातार प्रयास कर रही है।

61 दिल्ली सरकार ने मीटर युक्त जल प्रबंध वाले सभी परिवारों को 20 किलोलीटर तक पानी निःशुल्क देना सुनिश्चित किया है। यह स्कीम शुरु होने के बाद से लगभग 6 लाख उपभोक्ता इससे लाभन्वित हुए हैं। हाल में सरकार ने शहर और यमुना को साफ रखने के लिए अनधिकृत कालोनियों के अनिच्छुक निवासियों को प्रोत्साहित कर उनके घरों में सीवर लाइन के लिए सीमित अवधि तक निःशुल्क कनेक्शन देना शुरु किया है। सीवर कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक विकास शुल्क हटाने से अधिक से अधिक परिवार अब सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

62 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अब तक पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने वाले क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में सफल होना। सरकार ने ऐसे 1583 अनधिकृत कालोनियों में नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है, जो दिल्ली में कुल अनधिकृत कालोनियों का लगभग 88 प्रतिशत है। बहुत जल्दी ही बाकी अनधिकृत कालोनियां भी पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगी।

63 जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकता दिल्ली से बाहर के स्रोतों से जलापूर्ति बढ़ाना है, इन उपायों में हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाऊ बांध और लखवार व्यासी बांध से और यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों से भूमिगत जल लेकर तालाबों को भरने तथा पानी के पुनःचक्रण, जल संचयन, पानी की बरबादी रोक कर, समुचित जल लेखांकन से गैर राजस्व के जल की मात्रा कम करना, पानी के बल्क मीटर लगाने सहित आंतरिक स्रोतों को मजबूत करना आदि शामिल है।

64 दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी संचालन व्यवस्था में सुधार किया है और मांग पक्ष की समुचित योजना, जल वितरण के कुशल प्रबंधन, समुचित जल लेखांकन, जीपीएस/जीपीआरएस के उपयोग से पारदर्शी टैंकर जल वितरण प्रणाली के लिये अनेक उपाय किये हैं।

65 दिल्ली के करीब 93 प्रतिशत परिवारों को अब पाइप के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। गर्मी के मौसम में जल उत्पादन निरंतर 953 एमजीडी प्रतिदिन पर बनाए रखा जा रहा है। जलापूर्ति नेटवर्क के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 15041 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और लगभग 125 भूमिगत जलाशय शामिल हैं। शहर में वाटर टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की प्रणाली में सुधार के लिए 407 नए वाटर टैंकर लगाए गए हैं जिनके कंटेनर स्टेनलेस स्टील के हैं और उनमें जीपीएस प्रणाली की व्यवस्था है। पानी की किल्लत वाले इलाकों में आपूर्ति में और सुधार के लिए 530 किराये पर लिए गये एम.एस.टैंकरों के अलावा 250 नये खरीदे गये एसएस टैंकरों का भी पहले से मौजूद संसाधनों में उपयोग किया जा रहा है।

66 दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन के लिये फ्लोमीटर लगाने की परियोजना शुरू की है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में लगभग 3285 बल्क फ्लोमीटर लगाये जा रहे हैं जो 100 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर व्यास के हैं। इनमें से लगभग 3214 फ्लोमीटर लगाये जा चुके हैं। झंडेवालान में एक डेटा/एससीएडीए केंद्र स्थापित किया गया है, जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाईन डेटा प्राप्त किया जा रहा है। इससे वास्तविक समय निगरानी और समुचित जल वितरण में मदद मिल रही है।

67 दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता में पिछले 13 वर्ष के दौरान लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में जो क्षमता 810 एमजीडी थी वह 2020 में बढ़कर 916 एमजीडी हो गयी। वर्ष 2021 में यह बढ़कर 921 एमजीडी तक पहंच गयी।

68 जल शुल्क "अधिक इस्तेमाल अधिक भुगतान" के सिद्धांत पर आधारित है। मौजूदा शुल्क नीति उपभोक्ताओं को अधिक पानी के अत्यधिक इस्तेमाल या बर्बादी से रोकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने 2020–21 के दौरान 1855.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 1773.89 करोड़ रुपये की वसूली की। 01.03.2015 से 20 किलोलीटर प्रतिमाह पानी का उपभोग करने वाले और पानी का कार्यात्मक मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है और उन्हें पानी बिल के भुगतान पर पूरी छूट दी गयी है।

69 दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर के जलापूर्ति के मापन के लिए जल मीटर प्राप्त करने की प्रणाली को सुचारू बनाने के उपाय किए हैं। जल कनेक्शन की मंजूरी के साथ वाटर मीटर सप्लाई किए जाने की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है और अब उपभोक्ता बाजार से स्वीकृत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वाटर मीटर खरीद सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहां दिजबो द्वारा लगाये गये मीटर खराब पड़े हैं उन्हें इस बात की अनुमति दी गई है कि वे खराब मीटर के स्थान पर प्राइवेट वॉटर मीटर लगवा लें और दिजबो के पास जमा कराई गई मीटर धरोहर राशि वापस ले लें या उसे भविष्य में जल शुल्कं में समायोजित करा लें।

70 इन प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया सितम्बर 2018 में शुरू की गयी थी। 155 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये 376.79 करोड़ रुपए की योजना को दिल्ली जल बोर्ड ने 24.12,2018 को हुई

अपनी बैठक में मंजूरी दे दी थी। 83 जल निकायों के लिये परामर्श उपलब्ध कराने का कार्य सीएसआईआर–एनईईआरआई–नागपुर को सौंपा गया है।

71 सीएसआईआर–एनईईआरआई–नागपुर को सौंपे गये 83 जल निकायों में से 81 की परियोजना विकास रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसे रिपोर्ट की प्राप्ति और जल निकायों के आधार पर चरणों में बांटा गया है। 50 जल निकायों के पुनरुद्धार का काम सौंपा जा चुका है और काम चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है। इसके अक्तूबर 2022 तक पूरा हो जाने की आशा है।

72 दिल्ली जल बोर्ड की अपशिष्ट जल उपचार क्षमता बढ़कर 31 मार्च 2021 तक 597 एमजीडी हो गयी है लेकिन इसके 87.76 प्रतिशत का ही उपयोग हो पा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के पास लगभग 8800 किलामीटर का पेरिफेरल सीवर नेटवर्क है। इसके अलावा ट्रंक सीवर का 200 किलो मीटर का नेटवर्क है। ट्रंक सीवर से गाद हटाने का काम पूरा हो चुका है और पेरिफेरल सीवर में यह कार्य प्रगति पर है।

आवास और शहरी विकास

73 दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक रूप से सतत और सुलभ गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ सबके लिए सतत, समावेशी और समान सुविधाओं से युक्त बनाना है। मुख्य रूप से मलिन बस्तियों के विकास, सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्त पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और समुचित आवास व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना है। ये सभी नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर रहन–सहन के अनिवार्य घटक हैं।

74 दिल्ली में आवास बाजार की स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण और को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर–विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।

75 हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ–सफाई की व्यवस्था से लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाना है। स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आवास

परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे लगभग 52,000 आवासीय इकाइयों में आवास सुविधाओं में सुधार होगा।

76 दिल्ली सरकार ने रीयल एस्टेट (नियमन और विकास अधिनियम) एक्ट 2016 पहली मई, 2017 से लागू किया। इस अधिनियम के तहत रीयल एस्टेट क्षेत्र का नियमन और संवर्धन, प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवन इत्यादि की बिक्री और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित किया जाना है। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के आदेश या निर्देश और निर्णयों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन होना है। यह अधिनियम पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन लाकर रीयल एस्टेट सेक्टर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

77 पुरानी दिल्ली क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने और उसके पर्यावरण में सुधार के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम के माध्यम से एक व्यापक योजना तैयार की गई है। निगम बिना कोई लाभ कमाए वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान शहरी धरोहर की संरक्षा करता है।

78 रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कई पहल की है। जैसे घरों से ठोस कचरा संग्रह, स्रोत पर ही कचरे को अलग अलग करना, कचरा संयंत्रों का विकेन्द्रीकरण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना इत्यादि। 10650 मी.टन प्रतिदिन ठोस कचरे का संग्रह किया जाता है और इससे 3 लैंडफिल स्थलों और प्रसंस्करण संयंत्रों तक भेजा जाता है। कुल कचरे का लगभग 55 प्रतिशत कचरे से ऊर्जा और कचरे से कम्पोस्ट खाद के जरिए प्रसंस्कृत किया जाता है और शेष को 3 स्वच्छता लैंडफिल स्थलों पर डाल दिया जाता है।

79 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला कूड़ा स्थलों पर लंबे समय से जमा किए जा रहे कूड़े के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में राशि उपलब्ध कराई थी। इन कूड़ा स्थलों से फैल रहे प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके निपटान के लिए व्यवहार्य नियमों के तहत वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों की आवश्यकता है। इन स्थलों से कूड़ा हटा लिए जाने के बाद साफ स्थल का उपयोग एकीकृत कचरा प्रसंस्करण और उपचार केंद्र के लिए किया जा सकता है। इसके चारों ओर एक जैव विविधता उद्यान विकसित किया जा सकता है, जिससे वायु गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और आसपास का माहौल स्वच्छ बनेगा।

शिक्षा

80 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। यह 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री–पुरुष अंतराल 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1

प्रतिशत पर आ गया। 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 88.7 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ केरल के बाद दूसरे स्थान पर है।

81 दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुल 1231 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 21.73 प्रतिशत हैं। 2020–21 के दौरान सभी स्कूलों में कुल दाखिलों में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी 39.36 प्रतिशत रही।

82 यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2019–20 के अनुसार दिल्ली में सभी स्तरों पर शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात तथा निवल दाखिला अनुपात अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक है।

83 रिजर्व बैंक की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अन्य सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया है। 2021–22 के दौरान दिल्ली शिक्षा के लिये अपने बजट के 22.8 प्रतिशत आवंटन के साथ शीर्ष पर था। इसके बाद असम (18.6 प्रति.) और छत्तीसगढ (18.1 प्रति.) का स्थान था। 2021–22 में राष्ट्रीय औसत 13.9 प्रतिशत है।

84 2021–22 के दौरान एसटीईएम, मानविकी विज्ञान, प्रदर्शन और दृश्यकला तथा 21वीं सदी के आधुनिकतम कौशल के क्षेत्रों को कवर करते हुए 2300 विद्यार्थियों के साथ 20 विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय (एसओएसई) शुरू किए गए हैं। ये चुनाव आधारित स्कूल 9वीं से 12वीं ग्रेड तक हैं।

85 बिजनेस ब्लास्टर परियोजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से सीड मनी उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने नवाचारी व्यापार विचार को लागू कर सकें।

86 वर्ष 2021–22 के दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय की 'प्रतिभा–सह–साधन से जुड़े वित्तीय सहयोग योजना' के अंतर्गत शिक्षा सत्र 2020–21 के लिए 6820 विद्यार्थियों को 48.14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2019–20 के दौरान 3760 विद्यार्थियों को 24.01 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

87 दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना कौशल विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय वृद्धि और विकास के लिए प्रशिक्षित और रोजगार पाने योग्य मानव संसाधन विकास की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कौशल आधारित कार्यक्रम शुरू करने के लिए की गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 6258 है।

88 दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड– डीबीएसई की शुरूआत मार्च 2021 में की गई और दिल्ली के स्कूलों में आधुनिकतम शिक्षा और आकलन व्यवस्था शामिल करने के लिए इंटरनेशनल बैकलॉरीअट (आईबी) के साथ बोर्ड की साझेदारी हुई। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के तीस स्कूलों के साथ काम शुरू किया।

अगले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार के सभी स्कूल और इच्छुक निजी विद्यालय डीबीएसई से संबद्ध हो सकते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

89 दिल्ली अपने निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा की समान और सुलभ पहुंच प्रदान करने तथा संचारी और गैर संचारी रोगों को कम करने के साथ मृत्यु दर कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

90 दिल्ली सरकार 4 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना मॉडल लागू कर रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्तर–1 और स्तर –2 पर मोहल्ला क्लीनिक और पॉलीक्लिनिक हैं। 31 मार्च 2021 तक, दिल्ली में 88 अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1573 औषधालय, 138 मातृत्व गृह तथा उप केंद्र, 52 पॉलीक्लिनिक, 1119 नर्सिंग होम, 388 विशेष क्लिनिक और 19 मेडिकल कॉलेज थे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मामले में 944 औषधालयों के साथ दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें 175 एलोपैथिक औषधालय, 503 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (पायलट+नियमित), 60 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 49 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी और 108 होम्योपैथिक औषधालय, 17 मोबाइल क्लीनिक थे। अस्पताल विशेषज्ञता प्राप्त और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। चालू/नई परियोजनाओं के पूरा कर और मौजूदा अस्पतालों को फिर से तैयार कर / विस्तार कर लगभग 16000 नये बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे।

91 सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) के माध्यम से सरकार के सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं और मुफ्त सर्जरी की सुविधा शुरू की है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स और सर्जरी के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को निजी स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना के शिकार, एसिड हमले/ जलने से पीड़ितों का उपचार भी डीएके के माध्यम से किया जा रहा है।

92 महत्वपूर्ण संकेतक जैसे कि शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में दिल्ली, अखिल भारतीय स्तरों 32, 23, 36 की तुलना में निचले स्तरों क्रमशः 11, 10, और 19 पर है। इसी प्रकार, दिल्ली में 1.5 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) भारत में सबसे कम है (अखिल भारतीय स्तर– 2.2) जो प्रतिस्थापन दर की उपलब्धि को इंगित करता है। इसी तर्ज पर दिल्ली में 3.3 प्रतिशत की अशोधित मृत्यु (क्रूड डेथ रेट) दर देश में सबसे कम है।

93 हालांकि, 100 प्रतिशत संस्थागत जन्म, सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज और एएनसी प्राप्त करने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। संस्थागत प्रसव का अनुपात 91.94 प्रतिशत था। यह बताता है कि इन सेवाओं में 100 प्रतिशत उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

94 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य और टीबी, कुष्ठ रोग नियंत्रण आदि पर केंद्रित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से दिल्ली में लागू किये जा रहे हैं। दिल्ली राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी एनएसीपी के कार्यक्रम को लागू कर रही है। आयुष निदेशालय आईएसएम और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करता है।

समाज कल्याण और सुरक्षा

95 भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, संकट में फंसी महिलाओं, दिव्यांगों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य के कल्याण के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम/योजनाएं लागू कर रही है।

96 समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संशोधित कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 2020–21 में 3558.50 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021–22 में 4028 करोड़ रुपये था। इसमें से चालू वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों (दिसंबर, 2021 तक 4.29 लाख लाभार्थी), संकट ग्रस्त महिलाओं (दिसंबर, 2021 तक 3.10 लाख लाभार्थी) और दिव्यांगों (दिसंबर, 2021 तक 1.11 लाख लाभार्थी) के लिए योजनाओं के वास्ते वित्तीय सहायता लगभग 2759 करोड रुपये थी। 60–69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 रुपये और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपये– प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। दिव्यांग जनों और संकट में महिलाओं को भी 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। एक नई योजना 'मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार वित्तीय सहायता' वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू की गई है। इसके तहत कोविड महामारी के दौरान परिवार के रोजी–रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को 2500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता शुरू की गई है।

97 महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए, महिला और बाल विकास विभाग कुछ प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), लाडली योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) लागू कर रहा है। विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। दिल्ली में काम करने वाली महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है। दिल्ली महिला आयोग की 219 महिला पंचायतें हैं, जो संकट में महिलाओं को परामर्श और कानूनी सलाह देने का काम कर रही हैं।

98 बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान और उपेक्षित बच्चों की देखभाल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली में कार्यरत है।

99 दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9678 रुपये और आंगनवाड़ी सहायकों को 4839 रुपये मासिक मानदेय प्रदान कर रही है।

100 दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान कर रही है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें और "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना" के तहत उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें।

101 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्रों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार जैसे स्टेशनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, छात्रों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति आदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

102 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का विभाग करता है। इस प्रणाली के तहत समाज के वंचित वर्गों को खाद्यान्न, मुख्य रूप से चावल और गेहूं रियायती मूल्य पर मुहैया कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, 1 सितंबर 2013 से लागू होने के तुरंत बाद इसे कार्यान्वित करने वाला दिल्ली पहला राज्य था।

103 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क, जिसमें समूची दिल्ली में 2005 उचित मूल्य दुकानें शामिल हैं, मार्च 2022 तक 17.80 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.78 लाख आबादी की जरूरतें पूरी कर रहा है। ये खाद्य सुरक्षा कार्ड, आधार से जुड़े हैं।

104 कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लोगों की आजीविका को भारी नुकसान हुआ। लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी भूखा न रहे, विशेष खाद्य राहत पहल–मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का आगे विस्तार, सभी जरूरत मंद लोगों को, जिनके पास राशनकार्ड नहीं थे सहित, सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए जारी रखा गया। प्रति लाभार्थी 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न, गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्रेणी के अंतर्गत 63.63 लाख व्यक्तियों को निशुल्क दिया गया, जो नियमित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं थे। इसे समूची दिल्ली में लगभग 588 विशेष वितरण केंद्रों के जरिए वितरित किया गया।

105 दिल्ली सरकार ने दिनांक 15.07.2021 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3014 द्वारा ई–पीओएस और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जुलाई 2021 से लागू करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। इसके अनुसार जुलाई 2021 से एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड/उचित मूल्य की सभी दुकानों तक राष्ट्रीय पहुंच के कार्यान्वयन से संबंधित आदेश

19 जुलाई 2021 को जारी किया गया। इसके जरिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी प्रवासी लाभार्थी को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत अपने मूल राज्य में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत, ई–पीओएस के जरिये बायोमैट्रिक प्रमाणन के बाद, निर्धारित राशन लेने का अधिकार होगा।

जनसांख्यिकीय विवरण

106 रा.रा.क्षे.दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 किलोमीटर है। शहरीकरण की तीव्र गति के साथ, ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी पुष्टि जनगणना रिपोर्टों से हो रही है। 1901 में 53 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 97 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में थी। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण में तेजी से हुई वृद्धि को इंगित करता है। दिल्ली की ग्रामीण आबादी 1991 के 9.49 लाख से घटकर 2011 में 4.19 लाख रह गई। शहरीकरण की इस गति के कारण दिल्ली में ग्रामीण गांवों की संख्या 1961 की 300 से घटकर 2001 में 165 और 2011 में 112 रह गई है।

107 रा.रा.क्षे. दिल्ली में 1951 के बाद पहली बार, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आई और यह 2011 में 21.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2001 में यह 47.02 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना की यह एक खासियत है, क्योंकि 1951 के बाद से सभी जनगणनाओं में, 2001 को छोड़कर सभी में दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से अधिक थी, केवल 2001 में यह 47 प्रतिशत थी। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि ने जनसंख्या के घनत्व में भी बढोत्तरी की । यह 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2001 में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है।

108 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक था।

दिल्ली में गरीबी रेखा

109 गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति या समुदाय के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों, क्षमता और स्थितियों का अभाव होता है। यह एक ऐसी स्थिति को इंगित करता है जिसमें एक व्यक्ति आरामदायक जीवन शैली के लिए जीवन स्तर को बनाए रखने में विफल रहता है। एनएसएस 68वें दौर पर आधारित योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011–12 में दिल्ली में गरीबी रेखा ग्रामीण के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 1145 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1134 रुपए था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रामीण के लिए 816 रुपए और शहरी भारत के लिए 1000 रुपए था। दिल्ली में 2011–12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 16.96 लाख थी और यह दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत थी।

110 अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली समय–समय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के तहत किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर "दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता व्यय का स्तर और शैली" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। एनएसएस के 68वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रति व्यक्ति खर्च 3726.66 रुपए है जिसमें खाद्य पदार्थों पर 1461.54 रुपए और गैर खाद्य पदार्थों पर 2265.12 रुपए का खर्च शामिल है।

111 दिल्ली सरकार ने 2015 के बाद से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, बिजली और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के नागरिकों को सब्सिडी प्रदान की है। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं/कार्यक्रम चला रही है।

रोजगार और बेरोजगारी

112 भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 –जून 2020 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में श्रम बल की भागीदारी दर 37.2 थी जबकि श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 34.0 था। इस अवधि के दौरान दिल्ली में बेरोजगारी दर 8.7 थी।